

द्वितीय प्रति

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम-17 (क) को देखें

ई-मेल deousn-edu-uk@nic.in

दूरभाष: 05944-250663

फैक्स: 05944-250054

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद-ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड

पत्रांक/मान्यता/ 8700-82 /2016-17

दिनांक:- 30/09/2016

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

मोनार्ड पब्लिक स्कूल गदरपुर, ऊधम सिंह नगर ।

विषय: निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक- शून्य के क्रम में आपके विद्यालय मोनार्ड पब्लिक स्कूल गदरपुर, ऊधम सिंह नगर को अधिनियम की धारा-19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद ऊधम सिंह नगर में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 71/2016-17 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के सन्दर्भ में यदि भविष्य में सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से यह संज्ञान में आता है कि आपके शपथपत्र में गलत सूचनाएँ अंकित कर अथवा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए असत्य एवं भ्रामक सूचनाएँ दी हैं या स्वघोषणा पत्र में आपके द्वारा दी गयी प्रविष्टियाँ असत्य एवं त्रुटिपूर्ण पायी गयी तो आपकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न धाराओं का दोषी मानते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी,

ऊधम सिंह नगर,

उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन सं0/मान्यता/

/2016-17 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर।

2-जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)/जिला परियोजना अधिकारी अधिकारी सर्वशिक्षा अभियान ऊधम सिंह नगर।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,

ऊधम सिंह नगर,

उत्तराखण्ड।